

न्यूज लेटर सेतु

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित



मार्च - 2020 • अंक : 18



माता-पिता और बच्चे के संबंध

निदेशक की कलम से ...



माता पिता एवं बच्चों के मध्य के सम्बन्ध परिवार व्यवस्था का मूल आधार है। वस्तुतः (संभावित) बच्चों की उपस्थिति के बिना परिवार की अवधारणा सम्पूर्णता ग्रहण नहीं करती। कहा जाता है कि बच्चों के व्यक्तित्व पर उनके माता पिता की अमिट छाप होती है।

समाजीकरण की प्रक्रिया में माँ को 'केन्द्रीय नेतृत्व' की संज्ञा भी दी जाती है। माता पिता के द्वारा दिया गया शिक्षण बच्चों के सामाजिक व्यवहार, मूल्य व्यवस्थाओं एवं उनके व्यक्तित्व के मनो-सांस्कृतिक चरित्र को व्यापक स्तर तक निर्धारित व प्रभावित करता है। बच्चों के स्वास्थ्य के स्तर को भी सुनिश्चित करने में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संस्कृति के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण में माता पिता के योगदान के कारण माता पिता एवं बच्चों के सम्बन्ध को समझना हम सब के लिए अत्यंत जरूरी हो जाता है। इस पक्ष को ध्यान में रख कर 'सेतु' का वर्तमान अंक 'माता पिता एवं बच्चों के मध्य सम्बन्ध' पर आधारित है।

आज के बदलते दौर में बच्चों पर माता-पिता के ध्यान का परंपरागत स्वरूप बहुत अधिक उपयोगी नहीं रहा है। यदि माता पिता दोनों किसी पेशे से सम्बद्ध हैं और परिवार छोटा है तो बच्चे एकाकीपन महसूस करते हैं और इसका परिणाम या तो सृजनात्मकता के रूप में या विचलन के रूप में उभर सकता है। हमें ऐसे परिवारों से सम्बद्ध बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, निर्धन एवं ग्रामीण बच्चों तथा बालिकाओं की अनेक विशिष्ट समस्याएं हैं जिनके समाधान के उपाय माता पिता के पास सीमित हैं। वैश्विक बाजार एवं मीडिया के प्रभाव ने बच्चों को आक्रामक, हिंसक एवं कुंठित बनाने में योगदान किया है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगिता ने बच्चों में असुरक्षा, निराशा एवं अलगाव की स्थितियों को गहरा किया है। बाल अधिकार के सवाल इन स्थितियों के कारण अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कानून के साथ बच्चों के संघर्ष चिंता का कारण बन रहे हैं। अनुशासन के नाम पर सैन्यीकरण जैसे परंपरागत माध्यमों से इन चिंताओं से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। बच्चों को अपने जीवन सम्बन्धी निर्णयों में सहभागिता के अवसर दिए जाने चाहिए। माता-पिता अपने निर्णयों को यदि बच्चों पर थोपते हैं तो वे बच्चे की सृजनात्मकता पर कहीं न कहीं प्रहार करते हैं और बाल अधिकार के दर्शन के विरोध की चेतना को व्यक्त करते हैं। माता-पिता को बच्चों के साथ अपने संबंधों में संवैधानिक मूल्यों को सम्मिलित करना आवश्यक है।

एक सुरक्षित समाज के लिए एक लोकतांत्रिक परिवार का होना अनिवार्य है, ऐसा मेरा मत है। इस विचार के साथ 'सेतु' का यह अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इस अंक में पाठकों के सम्मुख माता पिता के व्यवहार एवं बच्चों के जीवन से सम्बद्ध कुछ घटनाओं की प्रस्तुति इस भावना के साथ है कि बच्चों की उपयुक्त देखभाल एक 'स्वस्थ समाज' का आधार है। एक शिक्षित, स्वस्थ एवं भावनात्मक क्षमता से जुड़ा स्वतंत्र बच्चा लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज के लिए अनिवार्य है। ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना सीसीपी का भी एक उद्देश्य है।

राजीव शर्मा (आईपीएस)
निदेशक, सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, जयपुर।

📍 : सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, अटेलार्ड कैम्पस, अन्वदान पटेल पुलिन्स, अनुसूचा व दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जयपुर

माता-पिता और बच्चे के संबंध

संकल्पना

सरल शब्दों में माता-पिता और बच्चे के संबंध जैव-मनोवैज्ञानिक-सामाजिक-सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने वाले दो लोगों के बीच भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक अंतःक्रिया को व्यक्त करते हैं। संबंध और विशिष्टताएं माता-पिता द्वारा निर्धारित होती हैं और बच्चे इनसे परस्पर प्रभावित होते हैं एवं एक-दूसरे को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। माता-पिता द्वारा उनके बच्चों को स्नेह, देखभाल, सुरक्षा, सकारात्मक घरेलू वातावरण और जरूरी कौशल प्रदान करना और भविष्य में सफल व्यस्क बनने के लिए उचित व्यवहार प्रदान करना माता-पिता की प्रमुख जिम्मेदारी है। शैशवावस्था के प्रारंभ से ही बच्चों को अपने आसपास एक वातावरण की जरूरत होती है ताकि वे माता-पिता से संबंध विकसित कर सकें। एक बेहतर वातावरण में पले और बढ़े बच्चों का सकारात्मक चेतना, सकारात्मक भावनाएं, संज्ञानात्मक विकास और स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। हालांकि यह भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे भी हैं जो उन परिवारों में रहते हैं जहाँ पर वे माता-पिता के प्यार और देखभाल से वंचित हैं। जो बच्चे बिखरे हुए पारिवारिक ढाँचों में पैदा होते हैं और रहते हैं वे भी उन्हीं चुनौतियों को अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार का स्वरूप और भावनात्मक विकास की तुलना उनके समकक्षों के साथ नहीं की जा सकती है।

माता-पिता और बच्चे के संबंधों का महत्व

माता-पिता के, बच्चे के साथ पहले स्तर के संबंध जैविक होने के नाते, वे बच्चे के सम्पूर्ण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता-पिता और बच्चे के बीच एक बेहतर और स्वस्थ संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भविष्य के मार्ग की राह प्रशस्त करते हैं। एक स्नेही बंधन के द्वारा माता-पिता बच्चे को दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करते हैं जब वे उन्हें सुनिश्चित करते हैं कि उनके पीछे माता-पिता का मजबूत सहारा है। ऐसा करने से बच्चों को आत्मविश्वास मिलता है और वे संज्ञानात्मक मानचित्रण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चूंकि यह बच्चे के बाहरी दुनिया से परिचय के चिन्हित करता है, उन्हें तत्काल उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और यह आत्मविश्वास भी चाहिए कि उनके पास जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति के लिए एक मजबूत सहारे की व्यवस्था है। यहीं से पालन-पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका शुरू होती है। जीवन के बढ़ते चरणों के साथ नई चुनौतियाँ उभरती हैं और उन्हें इनसे संबंधित खान-पान एवं अन्य साधनों की आवश्यकता होती है। यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हर गुजरे हुए साल के साथ बच्चा नए साथियों और अन्य बाहरी प्रतिनिधियों के सम्पर्क में आता है जो उनके विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। माता-पिता को बहुत ही धैर्य, कौशल और समझ वाली मानसिकता के साथ सभी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है।

सकारात्मक परवरिश : निहितार्थ

सकारात्मक परवरिश एक ऐसा स्तर है जो विश्वास, प्रेम, देखरेख और सम्मान जैसे स्तंभों पर खड़ा है और सतत बनाए हुए है। यह मजबूत स्तंभ, बच्चों और उनके माता-पिता के बीच मजबूत बंधन है। सम्मान और विश्वास दो मुख्य साधन हैं जो बच्चों को प्रारंभिक वर्षों से ही चाहिये। एक बच्चा यह महसूस करता है कि वह मूल्यवान है, उसकी देखभाल की जाती है, प्यार किया जाता है, उसके चारों तरफ लोग रहते हैं और उसकी देखभाल करने वाले व्यस्क उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। 'माता-पिता और बच्चे के संबंध' पर किये गए शोधों के नतीजे बताते हैं कि पीढ़ियों तक सकारात्मक परवरिश के प्रभावों के चलने की संभावना है। बच्चों की गतिविधियों में शामिल होना, उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों में भाग लेना, उन्हें गर्मजोशी प्रदान करना, अनुशासन बनाए रखना आदि ऐसे कारक हैं जिनके माध्यम से संबंध दूरगामी और सतत बन जाते हैं। विशेष रूप से किशोर बच्चों के लिए माता-पिता का ऐसा व्यवहार उनके मानस पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब किशोर इस तरह के व्यवहार के साक्षी बनते हैं तो उनमें आशावाद और आत्मविश्वास का संचार होता है जो उनके जीवन में दीर्घकाल तक चलता है। ऐसे बच्चे स्कूल में दृढ़ एकाग्रता प्रदर्शित करते हैं और अपने अन्य साथियों के तुलना में बेहतर आत्मसम्मानी होते हैं जिन्हें सामान्य तरीकों से बच्चों में विकसित नहीं किया जा सकता।

यह अच्छी तरह से समझा गया और स्वीकृत तथ्य है कि नकारात्मक या खराब परवरिश का भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लगातार उपेक्षा, पर्यवेक्षण का अभाव, अपर्याप्त प्रेम और देखभाल, असंगत व्यवहार का न केवल बच्चों के स्कूल और अकादमिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं तो मादक द्रव्यों का सेवन भी करते हैं। प्यार, उनकी बात सुनना और उन्हें स्वीकार करना वे बुनियादी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जरूरतें हैं जिनके पूरा न होने पर बच्चे घर से बाहर इनकी तलाश करने लगते हैं। समस्या तक शुरू होती है जब वे उन साथियों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं जो नकारात्मक व्यवहार और बुरी आदतों में शामिल होते हैं।

इस प्रकार माता-पिता के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपनी भूमिकाओं को समझें, बच्चों के साथ गुणवत्ता समय व्यतीत करें, उन्हें सुनें और अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाएँ कि वे उन सब उन सब विपरीत परिस्थितियों में यहीं हैं जिनका सामना करने की उनके जीवन के विभिन्न चरणों में संभावना है। इसके प्रभाव का अहसास नहीं किया जा सकता, इसकी केवल चर्चा की जा सकती है लेकिन यह जाहिर तौर पर सामाजिक परिवेश में दिखाई दे जाएगा जो कि वर्षों से इसी तरह की सकारात्मकता के कारण निर्मित हुआ है।

केस स्टडी

राजस्थान के नागौर जिले के गाथिलासर गाँव की एक माँ कमला ने शिकायत की कि नाबालिग बेटी की उसके जीजा खमराज, सीताराम और विजयराम ने बिना उसकी मर्जी और माता-पिता की सहमति लिए बगैर जबरन शादी कर दी।

यह भी आरोप लगाया गया कि शादी के लिए, बच्ची को बेचने के लिए उन्होंने दूल्हे की तरफ से कुछ पैसे भी लिए। माता-पिता द्वारा यह दावा किया गया कि उनकी बेटी नाबालिग है लेकिन ससुरालवालों ने उसे बालिग साबित करने के पक्ष में जाली दस्तेज बनाए ताकि वे कानूनी कार्रवाई को बेअसर कर सकें और अपने आप को सामाजिक जिम्मेदारी के तहत बचा सकें। माता-पिता इन जाली दस्तावेजों के बारे में अनजान थे।

भाई के ससुर ने माता-पिता को बिना बताए ही शादी की तारीख तय कर दी। जब माता-पिता को अपनी बच्ची की शादी की तारीख पता चली तो उन्होंने 1098 के माध्यम से चाइल्ड लाइन को शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुँची और ससुराल वालों ने उन्हें जाली दस्तावेज दिखाए।

अब एक दिहाड़ी कमाने वाला किसान संघर्ष कर रहा है और मामले में न्याय पाने के लिए अधिकारियों तक जा रहा है। वे अधिकारियों से अपनी बेटी से मिलने, दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जाँच करने की गुहार लगा रहे हैं और बच्ची के भामाशाह, राशन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से उम्र का वैध प्रमाण उपलब्ध कराया। माता-पिता के आरोपों के अनुसार स्पष्ट रूप से यह संस्कृति/शादी के नाम पर बाल-तस्करी का मामला है। यह मामला दर्शाता है कि बच्चों की तस्करी/बिक्री और बच्चों की खरीद-फरोख्त का जघन्य अपराध सांस्कृतिक और पारम्परिक प्रथाओं के नाम पर फैल रहा है।

*सभी वास्तविक नाम बदल दिये गए हैं।

—टीम यूनिसेफ, जयपुर

केस स्टडी

आश्रयगृह: सपनों की उड़ान

बालिका पिंकी चित्तौड़गढ़ की रहने वाली है। उसकी 7 बहनें व 1 भाई हैं जिनमें पिंकी पांचवे नं की है। बालिका के पिता ने पांचवी कक्षा के बाद उसकी पढाई छुड़वा दी। पिंकी जब 4 वर्ष की थी, तो उसके पिता ने अन्य पाँच बेटियों के साथ उसका भी बाल विवाह करवा दिया था। पिंकी का विवाह भीलवाड़ा निवासी सुरेश के साथ हुआ था। विवाह के समय मोहन की उम्र लगभग 7-8 वर्ष रही होगी।

वर्ष 2016 में एक सामाजिक समारोह में पिंकी की मुलाकात चित्तौड़गढ़ निवासी केशव से हुई। केशव विवाहित था पर आपसी झगड़े के कारण अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता था। दोनों में दोस्ती हुई व मोबाइल के माध्यम से दोनों का संपर्क होता गया। इस बात का पता पिंकी की बहनों को था।

पिंकी विवाह के लगभग 10 वर्ष पश्चात् वर्ष 2017 में पहली बार अपने ससुराल राजपुरा गई। वह लगभग 14 वर्ष की थी, जब उसे पता चला कि मोहन भी अन्य लड़की को पसंद करता है तथा उसके संपर्क में है। मोहन जयपुर के एक गाँव में गन्ने के जूस की लारी लगाता था व किराये के मकान में रहता था। मोहन पिंकी को अपने साथ वहाँ ले गया परन्तु उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था तथा उसे केशव के साथ जाने के लिए कहता था। वह पिंकी के साथ मारपीट करता था, शराब पीता था व पिंकी को भी जबरदस्ती एक-दो बार पिलाया और उसे घर से निकाल देता था। इन सभी परेशानियों के बारे में बालिका पिंकी ने अपने परिजनों को भी बताया लेकिन सामाजिक व पारिवारिक कारणों से उन्होंने पिंकी की परेशानियों को अनदेखा किया और ससुराल में रहने को कहा। एक दिन पिंकी का पति मोहन उसे केशव के पास छोड़ आया और उससे रिश्ता खत्म होने की बात कही। बाल विवाह उनके लिए एक खेल जैसा ही हुआ।

उक्त घटना के बाद बालिका पिंकी के माता-पिता ने बालिका को स्वीकारने से मना कर दिया तथा केशव पर पिंकी के अपहरण एवं दुष्कर्म का आरोप लगाया तथा 03 लाख रुपये देने पर समझौता करने पर दबाव बनाया। केशव ने कुछ पैसे देकर समझौता कर लिया और पिंकी को स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश में रह कर जीवन यापन करने लगा। इस दरमियान बालिका पिंकी कई बार दुष्कर्म का शिकार हुई तथा गर्भवती भी हो गई थी।

कुछ समय बीतने के बाद पिंकी के पिता ने पुनः केशव पर अपहरण एवं दुष्कर्म का थाने में प्रकरण दर्ज कराया तथा 06 लाख रुपये देने के लिए दबाव बनाया। परेशान होकर केशव ने पुलिस के सामने बालिका को उसके पिता को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान बालिका पिंकी के पिता द्वारा बालिका को स्वीकार नहीं करने पर पुलिस ने बालिका को श्री आसरा विकास संस्थान द्वारा संचालित आश्रय गृह में भेज दिया गया। आश्रय गृह द्वारा बालिका की काउंसलिंग की गई। आश्रय गृह में बालिका पिंकी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण गर्भ गिर गया। आश्रय गृह द्वारा बालिका का उपचार कराया गया एवं बालिका ने स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से अपना विवाह शून्य करवाया।

संस्था के सहयोग से बालिका पिंकी को पुनः शिक्षा से जोड़ा गया, बालिका की इच्छा है कि, वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाये, अपने पैरों पर खड़े होकर समाज में अपनी एक अच्छी छवि बनाये तथा बाल विवाह के कारण उसके जीवन पर पड़े प्रभाव के बारे में अन्य बालिकाओं एवं समुदाय को रूबरू कराये ताकि अन्य बालिकाओं के जीवन को बाल विवाह के दंश से बचा सके।

वर्तमान में बालिका शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ जीवन में बाल विवाह के कारण हुए परिवर्तन से लड़ रही है तथा जीवन में कुछ अच्छा करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

*सभी वास्तविक नाम बदल दिये गये हैं।

—टीम यूनिसेफ, जयपुर

तिमाही की गतिविधियाँ

बाल संरक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश व किशोर परामर्श में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ होने की घोषणा

सत्र 2020 के लिए बाल संरक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स की प्रवेश सूचना मार्च 2020 में जारी की गई थी। इसी के साथ किशोर परामर्श में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा का एक नया कोर्स भी प्रारंभ किया गया है जिसके लिए आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2020 है। 'बेसिक्स ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन' पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम को भी संशोधित किया गया है और संशोधित स्वरूप के इस कोर्स को सीसीपी की वेबसाइट से किया जा सकता है।

कोविड-19 पर जागरूकता की संक्षिप्त जानकारी

जैसा कि कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया गया था, राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित SPUP के सैटेलाइट कैंपस में दिनांक 12 मार्च 2020 को श्री आर. के. अरोड़ा, OSD-GCCT, द्वारा इसके फैलाव, रोकथाम और प्रभावों को कम करने की जागरूकता से संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज और सेंटर फॉर रोड सेफ्टी के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाते हुए बताया कि कार्यस्थल पर हाइजीन और एक दूसरे के साथ दूरी को कैसे बनाए रखना है।

बाल तस्करी/बाल श्रम के मामलों में तस्करो पर आरोप तय कर उनको सजा दिलवाने पर नार्थ एचटीयू (AHTU) व बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (CWPOs) के लिए प्रशिक्षण

बाल तस्करी/बालश्रम के मुकदमों पर अभियोजन और दोषियों की सजा सुनिश्चित करने के लिए नार्थ एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट्स (AHTUs) और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (CWPOs) का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण 2 मार्च 2020 को आयोजित किया गया जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट्स (AHTUs) के 5 अधिकारी, 12 बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPOs), एडीसीपी श्री धर्मेन्द्र सागर, और राजस्थान पुलिस अकादमी ट्रेनर श्री धीरज वर्मा की भागीदारी रही। श्री वर्मा रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने बाल श्रम और बाल तस्करी से जुड़े मामलों की धाराओं, कानूनों और एफआईआर के विवरणों की जानकारी साझा की।

वार्षिक योजना की बैठक

सेंटर ने यूनिसेफ से सहयोग से संचालित विभिन्न गतिविधियों की वार्षिक योजना बैठक आयोजित की। यह बैठक 19 फरवरी 2020 को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर स्थित सरदार पटेल युनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सेक्युरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस के सैटेलाइट कैंपस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता CCP के निदेशक श्री राजीव शर्मा (आईपीएस) ने की। CCP के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. राजीव गुप्ता ने यूनिसेफ की टीम का स्वागत किया और वर्ष 2019 के लिए अनुमोदित गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया। इस बैठक में यूनिसेफ टीम के सदस्य जो बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं और CCP की टीम ने भाग लिया।

बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर स्थित सरदार पटेल युनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सेक्युरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस के सैटेलाइट कैंपस के बोर्ड मीटिंग रूम में सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के बोर्ड ऑफ स्टडीज (BoS) के सदस्यों की बैठक 4 फरवरी 2020 को सुबह 11.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित हुई। बैठक का एजेंडा सेंटर द्वारा वर्ष 2019 के लिए चलाए जा रहे अकादमिक पाठ्यक्रमों की समग्र प्रगति प्रस्तुत करना था। बाल/किशोर परामर्श पर चलाए जा रहे सर्टिफिकेट कोर्स चलाने से संबंधित नियमावली, कोर्स के संशोधित पाठ्यक्रम, स्कूलों, कॉलेजों/विश्वविद्यालयों आदि से जुड़े अध्यायों और उनके विषय-वस्तु की संरचना की रूपरेखा आदि पर चर्चा की गई। बैठक में CCP निदेशक श्री राजीव शर्मा (आईपीएस), श्री वी. के. सिंह, आईजी, राजस्थान पुलिस, CCP के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. राजीव गुप्ता, बनस्थली विद्यापीठ, निवाई के समाजशास्त्र विभाग की प्रो. मंजू सिंह, राजस्थान विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की प्रो. सुशीला पारीक और CCP के कर्मचारियों ने भाग लिया।

चित्रावली

CENTRE FOR CHILD PROTECTION
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE,
JODHPUR, RAJASTHAN
(Established by Government of Rajasthan)

ADMISSION ANNOUNCEMENT-2020

APPLICATIONS INVITED FOR
CERTIFICATE COURSE IN CHILD PROTECTION (CCCP)
SESSION 2020

The last date for submission of application has been extended up to
13th April 2020 till 5:00PM.

Visit our website or contact us for more details:
Address: Centre for Child Protection, Old STS Building, Rajasthan Police Academy Campus,
Nehru Nagar, Panipetch, Jaipur, Rajasthan, Pin Code: 302016, Contact No. 9438255850,
Email- ccp@policeuniversity.ac.in, ccpcourses@centreforchildprotection.org
Website: www.centreforchildprotection.org
Facebook Link: https://www.facebook.com/Centreforchildprotection/

CENTRE FOR CHILD PROTECTION
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE,
JODHPUR, RAJASTHAN
(Established by Government of Rajasthan)

ADMISSION ANNOUNCEMENT-2020

APPLICATIONS INVITED FOR
**CERTIFICATE/ DIPLOMA
COURSE IN CHILD AND ADOLESCENT COUNSELLING (ICAC)**
(Previously this course is being run at the satellite campus of the SPLP, Jaipur)

SESSION 2020
Last date of Application :25th April, 2020

Address: Centre for Child Protection, Old STS Building, Rajasthan Police Academy Campus, Nehru Nagar, Panipetch,
Jaipur, Rajasthan, Pin Code: 302016, Contact No. 7073252901
Email- ccp@policeuniversity.ac.in, ccp-academics@policeuniversity.ac.in
Website: www.centreforchildprotection.org | Facebook Link : https://www.facebook.com/Centreforchildprotection

बाल संरक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स और बाल/किशोर परामर्श में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश की घोषणा



दिनांक 12 मार्च, 2020 को SPUP के सैटेलाइट कैंपस में श्री आर. के. अरोड़ा, OSD-GCCT, द्वारा कोविड-19 पर जागरूकता की संक्षिप्त जानकारी



दिनांक 02 मार्च 2020 को नोर्थ AHTUs और CWPOs का ADCP ऑफिस में प्रशिक्षण



19 फरवरी 2020 को CCP ऑफिस में आयोजित वार्षिक योजना की बैठक



4 फरवरी 2020 को CCP ऑफिस में आयोजित बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक



Twitter: https://twitter.com/CCP_jaipur



Facebook: <https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/>

‘सेतु’ सलाहकार बोर्ड

डॉ. राजीव गुप्ता

पूर्व प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
अध्यक्ष, सेतु सलाहकार बोर्ड व
वरिष्ठ सलाहकार-सीसीपी

डॉ. संजय निराला

बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ

डॉ. मंजू सिंह

विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान विभाग,
वनस्थली विश्वविद्यालय

श्री के.के. त्रिपाठी

वरिष्ठ सलाहकार-सीसीपी

योगदान व सहयोग

सीसीपी टीम

श्री राधाकान्त सक्सेना

आईजी कारावास (रिटायर्ड)

संपादक

अदिति व्यास

कन्सल्टेंट-रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, सीसीपी जयपुर


हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों के संबंध में अपने ज्ञान में बढ़ोत्तरी करने के लिए बाल संरक्षण का एक अल्पकालीन कोर्स करें।

सीसीपी के बारे में और सेंटर द्वारा प्रस्तावित कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट देखें:

<http://www.centreforchildprotection.org>

आप हमें इस नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं : +91 8619672924 / 0141-2300758

हम अपने पाठकों से भी बाल संरक्षण विषय से जुड़े आर्टिकल, लेख, केस स्टडीज़, सफलता के किस्से, सुझाव इत्यादि आमंत्रित करते हैं। कृपया अपनी प्रविष्टियाँ आप इस ईमेल पते पर भेजें : writetoccpjaipur@gmail.com



Parent-Child Relationship

From The Director's Desk



Interpersonal relationship between the parents and the children is the basic foundation of family system. In fact, probably the concept of family does not get completeness without the presence of children. It is said that the personality of the children has a great impact of their parents. In the process of socialization the mother has been defined as the instrumental leadership. The education imparted by the parents decides and influences the social behaviour, value systems and the psycho-cultural character of the personalities of the children to a great extent. In determining the health status of the children, the role of parents is of great importance. Due to the contribution of parents in the transmission of culture from generation to generation, we all need to understand the interpersonal relationship between the parents and the children. In the light of this, the present issue of SETU centrally focuses on the relationship between the parents and the children.

In the 'age of rapid transformation', the traditional form of the parents' attention on the children is not very useful. If both the parents are related to some profession, children feel the sense of isolation which may result adversely and give rise to either creativity or deviation. We need to focus on the children related to such families. The Dalit, tribal, minority, poor and rural children have special problems, solutions for which, are very limited with the parents. The influence of global market and media has made the children all the more aggressive, violent and frustrated and at the same time the blind competitiveness has deepened the feeling of insecurity, hopelessness and isolation among the children. The question of Child Rights are facing numerous challenges in these circumstances. With the law, the conflict of the children are becoming the cause of concern. In the name of discipline, traditional mediums like militarization cannot overcome these concerns. The children should be given the opportunity regarding their life related decisions. If the parents impose their decisions on the children, somewhere or the other they attack the creativity of the child and they express the feeling of revolt against the philosophy of Child Rights. It is important for the parents to include the constitutional values when they behave with children. I feel that there is a necessity of a democratic family for a 'SECURE SOCIETY'. This issue of SETU is presented before you with this very idea. In this issue, the presentation of some incidences have been made with the notion that proper care of the children is the base of a 'healthy society'. An independent child with an educated, healthy and emotional capacity is essential for a democratic society with equality. One of the objectives of CCP is also to encourage such children.

Rajeev Sharma (IPS)
Director, Centre for Child Protection, Jaipur.

Parent-Child Relationship

Concept

Parent-Child relationship, in simple terms, is an interaction between the two in emotional, psychological, physical and cognitive terms by which bio-psycho-socio-cultural needs are met out. The bond and the uniqueness is depicted by the manner parents and their child/ children interact with and respond to each other. As their prime responsibility, parents provide their children with affection, care, safety, positive homely environment, essential skills and appropriate behaviour to make them successful adults in the future. Right from the state of infancy, a child need such an environment around himself/ herself so as to build connect with the parents. Children nurtured and grown in such an environment have a positive psyche, positive emotional and cognitive development and healthy physical development. However, it is also seen and that there are children who reside in families where they are deprived of parental love and care. Those who take birth and live in the broken family structure, also tend to experience the same difficulties. The behaviour pattern and emotional development of such children is incomparable with their counterparts.

Importance of parent-child relationship

Parents, being the first level of biological connect with the child, have an essential role to play throughout the life of the child. A good and healthy relationship between parents and child is vital as it paves way for the future road. Through an affectionate bond, parents prepare the child to face the world while ensuring them they have a strong support behind them. By doing so, children gain the confidence and start the process of cognitive mapping. Since this marks the beginning of a child's interaction with the external world, they immensely need to be guided properly and be confided that they have got a strong support system for any adverse conditions in life. This is where the crucial role of parenting begins. With escalating stages of life, emerge new challenges and the respective needs to cater to them. This is challenging because with each passing year, children get in contact with new peers and other external agents who influence their thought process. Parents need to deal with all challenges with much skill and patience and an understanding mind set.

Positive Parenting: Implications

Positive parenting is a level that stands and sustains on pillars such as trust, love, care and respect. Stronger the pillars, stronger is the bond between the children and their parents. Respect and trust are two such mains that are must from very early yearsof the child. Making a child feel that he/ she is valued, taken care, loved, surrounded and protected with their biological adult caregivers. The results of researches done on the theme 'Parent-Child Relationship' depict that the impact of positive parenting has possibility to last for generations. Indulging in the activities children do, various games they play, providing them warmth, maintaining consistency of discipline, etc. are factors through which this vis-à-vis relationship runs and sustains. These behaviours on the part of parents, to their adolescent children in particular, have a very positive impact on their psyche. When adolescents witness this kind of behaviour, they gain optimism and confidence which goes on till late in their lives. Such children display strong concentration in school and have a better self-esteem as compared to their peers who are not brought up and nurtured in the similar manner.

It is a well realised and accepted fact that negative or poor parenting significantly affects the emotional, psychological, physical and behavioural wellbeing. Continued neglect, lack of supervision, insufficient love & care, inconsistent behaviour not only has negative implications on their performance in school and academics but also leads to substance abuse as they grow up. Being loved, heard and accepted are basic psychological and emotional needs in the absence of which, children look for them outside their home. The problem starts when they begin to confide in their peerswho have indulgence in negative behaviours and harmful habits.

It, thus, becomes important for the parents to understand their role, spend quality time with children, listen to them and make their children believe that they are there in all the adverse conditions they might face at different stages of their life. The impact of this, may not be realized while it is merely talked about but it would certainly be demonstrated in the social environment that is built with such positivity, over the years.

Case Study

Kamla, a mother from Gathilasar village of Nagaur district of Rajasthan complained that her minor daughter was forcibly married by her brothers-in-law Khemraj, Sitaram, and Vijayram without will and consent of child and parents.

It was also alleged that they have taken some money from groom's side to solemnize this marriage, to sell the child. It was claimed by parents that their daughter is minor but in-laws made forged document with support of authority to prove her major so that they can void legal action and shield themselves under social responsibility. Parents were unaware about forging of these documents.

Brother-in-laws got the marriage date fixed, without informing the parents. When parents discovered the date of marriage of their child, they complained the ChildLine through 1098 helpline number. Police came on the spot and in-laws produced the forged documents. Police accepted the document and did not bother to get into authenticity of documents. Parents pleaded them to check the authenticity of the document and claimed that the document is forged but Police paid no heed. Parents also requested for meeting with their daughter, but Police didn't allow.

Now, a daily wage hard working agricultural labourer is struggling and approaching authority for justice into the matter. They are pleading authority to let them meet with their daughter, check authenticity of document, and provide proof of age via valid available document with them like Bhamashah, Ration card and Aadhar card of the girl child.

As per allegation of parents, it clearly seems matter of child trafficking in the name of culture/ marriage.

This case indicates that heinous crime of child trafficking/ selling & buying of child is spreading on the name of cultural and traditional practices.

*Actual name have been changed

- Team UNICEF, Jaipur

Case Study

Pinky is a resident of Chittorgarh. She has seven sisters and a brother, of which Pinky is the fifth one. The girl's father made her quit studies after class five. When Pinky was 4 years old, her father got her married along with other five daughters. Pinky was married to Mohan, resident of Bhilwara. Mohan was 7-8 years of age at the time of marriage.

In the year 2016, Pinky met Keshav, a resident of Chittorgarh, in a social gathering. Keshav was married was not staying with his wife because of marital discord. Both of them got friends and kept on establishing contact through mobile. Pinky's sisters knew about this.

Pinky went to her husband's house Rajpura, for the first time after 10 years of her marriage in 2017. She was 14 at that time and came to know that Mohan used to like some other girl and was in touch with her. Mohan ran a sugarcane juice stall in the village and stayed in a rented house. Mohan took Pinky with him but misbehaved with her and used to ask her to go with Keshav. He would get into physical fights with Pinky, drink, make Pinky drink and got her out of the house. Pinky shared all these problems with her family members but they all ignored because of social and family reasons and asked her to stay at her in-laws place. One fine day, Pinky's husband Mohan, took her to Keshav and ended all relations with her. Child marriage was just like a game for them.

After this incident, Pinky's parents refused to accept her and alleged him for Pinky's kidnapping and physical abuse and stressed on settling on Rs. 03 Lakhs. Keshav gave some amount and settled, accepted Pinky and started leading life in Madhya Pradesh. During this time, Pinky got physically abused a several times and got pregnant.

After some time, Pinky's father again alleged Keshav for kidnapping and physical abuse, filed the case at the Police station and pressurised him to pay Rs. 6 lakh. Upon being frustrated, Keshav sent the girl to her father in the presence of the Police. When Pinky's father refused to accept her, she was sent to a shelter home run by Shri Aasra Vikas Sansthan. The girl was counselled there. In the home, Pinky suddenly got sick because of which she had a miscarriage. The girl was treated by the shelter home only and through the support of an NGO, she got her marriage nullified.

Through institutional support, Pinky was again linked to educational programme. The girl wants to gain good education, be independent, stand on her own feet and make a good image and sensitize the other girls and the community about child marriage and its impact on her life so that other girls' lives may be saved from the curse of child marriage.

At present the girl is fighting with the changes that have come due to child marriage while gaining education and is making all efforts to achieve the target of doing something good in life.

*Actual names have been changed

- Team UNICEF, Jaipur

Activities of the Quarter

Admission announcement of the Certificate course on Child Protection and Launch of a Certificate/ Diploma course in Child/ Adolescent Counselling

The admission notification for Certificate Course in Child Protection'- Session 2020, was rolled out in the month of March 2020. Along with this, a new course 'Certificate/ Diploma course in Child/ Adolescent Counselling' has been launched, last date for submitting applications of which, is 25th April, 2020. The Online course on 'Basics of Child Protection' has also been modified and may be taken from CCP website.

Awareness briefing on Covid-19

As Covid-19 was declared pandemic, an awareness briefing was done by Shri R.K. Arora, OSD-GCCT on the outbreak, prevention and measures to mitigate its effects, at the Satellite Campus of SPUP, Rajasthan Police Academy, Jaipur, on 12th March, 2020. He sensitized the staffs of the Centre for Child Protection, Centre for Peace & Conflict Studies and Centre for Road Safety on how hygiene and distancing at workplace has to be maintained.

Training of North AHTUs and CWPOs on ensuring prosecution and conviction of traffickers on child trafficking/ child labour cases.

March 2020 • Edition 18

A training was conducted on 02nd March, 2020, witnessing a participation of 5 officials from Anti Human Trafficking Units (AHTU), 12 Child Welfare Police Officers (CWPOs) Shri Dharmendra Sagar, ADCP and Shri Dheeraj Verma, Trainer-Rajasthan Police Academy, Jaipur. Shri Verma was the resource person and shared insights on various laws, sections and details of FIRs in cases related to child labour and child trafficking.

Annual Plan Meeting

The Centre organized annual plan meeting of various activities supported by UNICEF. The meeting was held on 19th February, 2020 at the satellite campus of Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Rajasthan Police Academy, Jaipur. The meeting was chaired by Shri Rajeev Sharma (IPS), Director-CCP. Dr. Rajiv Gupta, Senior Consultant-CCP, welcomed the UNICEF team and gave a brief overview about the progress of approved activities for the year 2019. The participants of the meeting were members of the UNICEF team, working in the area of Child Protection and CCP team.

Meeting of the Board of Studies

Meeting of Members of Board of Studies (BoS) of the Centre for Child Protection was held on Tuesday the 04th February, 2020 from 11:30AM to 4:30PM in the Board Meeting Room, Satellite Campus, Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jaipur, Rajasthan. The agenda of the meeting was to present the overall progress of academic courses being run by the Centre, for the year 2019. Discussions were also carried out over rules & regulations for running the Certificate course on Child & Adolescent Counselling, revised course curriculum of the course, designing chapters & content structure linked with Schools, Colleges/ Universities, etc. the meeting was attended by Shri Rajeev Sharma (IPS), Director-CCP, Shri V.K. Singh, IG, Rajasthan Police, Dr. Rajiv Gupta, Senior Consultant-CCP, Prof. Manju Singh, Department of Sociology, Banasthali Vidyapeeth, Niwai, Prof. Sushila Pareek, Department of Psychology, University of Rajasthan, Jaipur, and CCP staffs.

Picture Gallery



CENTRE FOR CHILD PROTECTION
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE,
JODHPUR, RAJASTHAN
(Established by Government of Rajasthan)

ADMISSION ANNOUNCEMENT- 2020

APPLICATIONS INVITED FOR
CERTIFICATE COURSE IN CHILD PROTECTION (CCCP)
SESSION 2020

The last date for submission of application has been extended up to
13th April 2020 till 5:00PM.

Visit our website or contact us for more details:
Address: Centre for Child Protection, Old STS Building, Rajasthan Police Academy Campus,
Nehru Nagar, Panipoch, Jaipur, Rajasthan, Pin Code: 302016. Contact No. 9438255850,
Email- ccp@policeuniversity.ac.in, ccpcourses@centreforchildprotection.org
Website: www.centreforchildprotection.org
Facebook Link: <https://www.facebook.com/Centreforchildprotection/>



CENTRE FOR CHILD PROTECTION
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE,
JODHPUR, RAJASTHAN
(Established by Government of Rajasthan)

ADMISSION ANNOUNCEMENT-2020

APPLICATIONS INVITED FOR
CERTIFICATE/ DIPLOMA
COURSE IN CHILD AND ADOLESCENT COUNSELLING (CAC)
(Previously this course is being run at the satellite campus of the SPUC, Jaipur)

SESSION 2020
Last date of Application :25th April, 2020

Address: Centre for Child Protection, Old STS Building, Rajasthan Police Academy Campus, Nehru Nagar, Panipoch,
Jaipur, Rajasthan, Pin Code: 302016, Contact No. 9438255901
Email- ccp@policeuniversity.ac.in, ccp-academic@policeuniversity.ac.in
Website: www.centreforchildprotection.org | Facebook Link : <https://www.facebook.com/Centreforchildprotection>

Admission announcement for Certificate course in Child Protection and Certificate/ Diploma course in child & adolescent counselling



*Awareness Briefing on Covid-19 by Shri R.K. Arora,
OSD-GCCT at Satellite Campus of SPUP on 12th March, 2020*



*Training of North AHTUs and CWPOs at ADCP
Office on 02nd March, 2020*



*Annual Plan meeting with UNICEF
on 19th February, 2020 at CCP Office*



*Meeting of the Board of Studies held
on 04th February, 2020 at CCP Office*



[Twitter: https://twitter.com/CCP_jaipur](https://twitter.com/CCP_jaipur)



[Facebook: https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/](https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/)

'SETU' Advisory Board

Dr. Rajiv Gupta

Former Professor,
University of Rajasthan, Jaipur &
Senior Consultant - CCP,
Chairperson, SETU Advisory Board

Dr. Sanjay Nirala

Child Protection Specialist, UNICEF

Dr. Manju Singh

Head, Deptt. of Sociology,
Banasthali University

Mr. K.K. Tripathy

Sr. Consultant-CCP

Mr. Radhakant Saxena

IG Prisons (Retd.).

Editor

Ms. Aditi Vyas

Consultant-Research &
Documentation, CCP Jaipur

Contribution & Support CCP Team

We encourage readers to do a short course in Child Protection to enhance your understanding on child protection issues.
To know more about CCP and the courses offered by the centre, please visit our website:

<http://www.centreforchildprotection.org>

Feel free to contact us at: +91 8619672924/0141-2300758

We invite articles, case studies, success stories, suggestions, etc. from the readers on child protection related issues.

Please send your contributions to: writetoccpjaipur@gmail.com